तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **प्रदीप विधानी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 65 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-05-2022	अपीलार्थी प्रदीप विधानी पुत्र स्व. नानकराम विधानी, पता बी–37, उम्मेद क्लब रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.01.2022 में (1) प्रभारी अधिकारी कार्यालय मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ जोधपुर का दिनांक 27.10.2021 जरिये स्पीड पोस्ट सं0 ER995214581IN 16.11.2021 को खसरा संख्या 40 मीरा विहार में बिना पट्टा, बिना निर्माण स्वीकृति मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनने पर की गई नियमानुसार शिकायत पर जोधपुर विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 05.03.2021 की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकारी से पुन+ जांच करवाने हेतु कुल दो पत्र प्रेषित किये गये, प्रभारी अधिकारी कार्यालय मुख्यमत्री प्रकोष्ठ को उपरोक्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रभारी अधिकारी कार्यालय मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की जानकारी की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 116 दिनांक 31.03.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपील के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित सूचना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.01.2022 मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ को प्राप्त होना नहीं पाया गया तथा कार्यालय की आवक शाखा में उपलब्ध आवक पंजिका अनुसार कमांक 887 व 888 दिनांक 20.01.2022 पर दर्ज है जो सूचना का अधिकार शाखा को दिया जाना अंकित है। रिपोर्ट में आगे कहा कि बिन्दु संख्या 4(अ) में उल्लेखित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2021 इस कार्यालय के पत्रांक मुमंविप्र/ विविध/ 2021/ 3800 दिनांक 01.11.2021 के द्वारा मूल ही सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2021 मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ को प्राप्त होना नहीं पाया गया तथा कार्यालय की आवक शाखा में उपलब्ध आवक पंजिका अनुसार कमांक 12249 दिनांक 24.11.2021 पर दर्ज है जो राजस्थान सम्पर्क शाखा को दिया जाना अंकित है। प्रभारी अधिकारी, मु.मं.प्रकोष्ठ की उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 18.01.2022 आवक शाखा की रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार शाखा कार्यालय हाजा को दिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना शीघ्र उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:08:23 IST
Reason: SelfAttested